परिपत्र सं.: सी-05/2020-एमपीलैड्स

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(एमपीलैड्स प्रभाग)

*****

पूर्वी ब्लॉक-6, लेवल-6,

आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 04.02.2021

विषय: एमपीलैड्स के अंतर्गत आपदा प्रतिरोध क्षमतापूर्ण परिसंपत्ति/अवसंरचना-तत्संबंधी

यह एमपीलैड्स के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आपदा प्रतिरोधक्षमतापूर्ण परिसंपतियों के निर्माण से संबंधित है । नवंबर, 2016 में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर प्रथम एशियाई मंत्रालय संबंधी सम्मलेन (एएमसीडीआरआर) आयोजित किया गया, जो निम्नलिखित अनुसार है, *"सभी सार्वजनिक व्ययों में जोखिम विवेचन पर ध्यान दिया जाए और आपदा प्रतिरोधक्षमतापूर्ण अवसंरचना को बढ़ावा दिया जाए"* |

2. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय ने भी दिनांक 23 जनवरी, 2020 के अपने अर्ध शासकीय पत्र सं. 20019/562/2017 (खंड) के माध्यम से इसका उल्लेख किया है और कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 36 और 37 के अनुसार भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह आपदा प्रबंधन/आपदा राहत प्रतिक्रिया (डीआरआर) के लिए सम्पूर्ण उपाय करें, साथ ही धारा 37 (2) (क) की ओर ध्यान आकृष्ट करता है जो संबंधित मंत्रालय से यह अपेक्षा करता है कि वह आपदा प्रबंधन योजना में विनिर्दिष्ट गतिविधियों का संचालन करने के लिए वित्तीय प्रावधान करें ।

3. जहां तक एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजना के लिए एमपीलैड्स निधियों का कुछ पृथक प्रतिशत निर्धारित करने या अलग से वित्तीय प्रावधान

करने का संबंध है, यह संसद सदस्यों का विशेषाधिकार है कि वे जिला प्राधिकारियों को कार्यों की सिफारिश करें और इसीलिए, मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी विशेष शीर्ष के अंतर्गत निश्चित प्रतिशत नियत करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

4. तथापि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की पूर्वोक्त धाराओं के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए और साथ ही विद्यमान एमपीलैड्स दिशानिर्देश पहले से ही अनिवार्य लाइफलाइन भवनों को नई सुविधाओं सहित जैसे कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और आपातकाल में आश्रय के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी भवन तथा प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी उपलब्ध कराते हैं, (अनुलग्नक- IVई में "अन्य सार्वजानिक सुविधाएं" शीर्ष के अंतर्गत योजना: 014 और 015 क्रमशः*) जिला प्राधिकारी वैध एमपीलैड्स कार्यों के तकनीकी अनुमान तैयार करने के स्तर पर ही , जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, आपदा प्रतिरोधक्षमतापूर्ण परिसंपत्ति/अवसंरचना निर्माण करने की आवश्यकता को संज्ञान में ले सकते हैं ।*

5. इस परिपत्र का अंग्रेजी संस्करण पहले ही जारी किया जा चुका है |

6. यह सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

मोइनक
04.02.21

(मोइनक मुखर्जी)

उप निदेशक (एमपीलैड्स)

सेवा में

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल सचिव
2. आयुक्त (कोलकाता / चेन्नई / दिल्ली निगम)
3. सभी जिला कलक्टर / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त